तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4130/2003/श्रीगंगानगर भागीरथ बनाम बृजलाल	नम्बर व तारीख

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थित –

श्री प्रदीप विश्नोई, अधिवक्ता, अपीलार्थी

प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 04–07–2022

यह द्वितीय अपील धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपील संख्या 152/2002 में पारित निर्णय दिनांक 30.07.2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि चक 2 एस.डी.पी. के मुरब्बा नंबर 1 प.न. 18/170 में कुल 25 बीघा रकबा खातेदारी है जिसमें अपीलांट एवं उत्तरवादीगण का बहिस्सा बराबर खातेदार में दर्ज कागजातमाल चला आ रहा है। यह रकबा प्रार्थी व उसके चाचा स्व0 श्योकरण पुत्र पूर्णराम के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज है तथा घरेलू बंटवारा के अनुसार अपीलांट के तीन हिस्सा में किला नंबर 1 ता 10, 14 व 15 सालम एवं किला नंबर 13 का 10 बिस्वा जो किला नंबर 8 के साथ लगता हुआ है, की कुल 12.10 बीघा भूमि प्रार्थी के हक में आई है और साढे बारह बीघा भूमि शेष अपीलांट के चाचा श्योकरण के हिससे में आई है। श्योकरण की मृत्यु हो जाने के उपरांत उसके वारिसान ने अपने हिस्से की 12.10 बीघा भूमि उत्तरवादीगण ब्रजलाल व इंद्राज को विक्रय कर दी है। इसलिए अप्रार्थीगण को पक्षकार बनाकर उनके हिस्से में आई भूमि के कीला नंबर 11, 20 व 21 में से 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने के लिए एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत शर्त 8 (2) उपनिवेशन अधिनियम की सामानय कन्डीशन 1955 के तहत उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के समक्ष अपीलांट द्वारा अपने खेत में मुरब्बा नंबर 1 के किला नंबर 13 में जाने के लिए रास्ता स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र दिनांक 11.04.2002 को प्रस्तुत किया। इसी प्रकार एक प्रार्थना पत्र उत्तरवादीगण ने इसी मुरब्बा नंबर 1 के किला नंबर 1 व 10 में से

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4130/2003/श्रीगंगानगर भागीरथ बनाम बृजलाल	नम्बर व तारीख
	रास्ता स्वीकृत करने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और अपीलांट के प्रार्थना पत्र का जवाब देकर यह यह कहा कि विवादित भूमि 1954 से पूर्व की खातेदारी की भूमि नहीं है। उपखण्ड अधिकारी ने दोनों पक्षकारों के रास्ता संबंधी प्रार्थना पत्रों को स्वीकार कर मुरब्बा नंबर 1 वाके चक 12 एस.डी.पी. के किला नंबर 1, 10, 11, 20 व 21 में से एक–एक बिस्वा भूमि रास्ता स्वीकृत कर दिया और अपीलांट ने 3 बिस्वा लंबा रास्ते की मांग की थी और उत्तरवादीगण ने केवल 2 बिस्वा लम्बे रास्ते की मांग की थी। इसलिये अपीलांट को एक बिस्वा भूमि का मुआवजा उत्तरवादीगण ब्रजलाल व इंद्राज को डी0एल0सी0 की वर्तमान उच्चतम दर 50,400/–रू0 प्रति बीघा के हिसाब से 1 बिस्वा भूमि की कीमत 2,520/–रू0 कायम कर अपीलांट को उत्तरवादीगण ब्रजलाल व इन्द्राज को अदा करने के आदेश प्रदान करते हुए स्वीकृत कर दिया। उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 03–06–2002 के विरूद्ध दोनों पक्षकारों ने अलग–अलग दो अपीलें प्रस्तुत की की जिसमें अपीलांट द्वारा प्रस्तुत की गई अपील संख्या 152/2002 उनवानी भागीरथ बनाम ब्रजलाल आदि तथा दूसरी अपील उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत की गई, जो अपील संख्या 173/2002 उनवानी ब्रजलाल बनाम भागीरथ प्रस्तुत हुई। दोनों अपीलों में सुनवाई करे राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर ने आदेश दिनांक 30–07–2003 को दोनों अपीलें खारिज कर उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर का आदेश दिनांक 03–06–2002 यथावत् रखा । राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 30–07–2003 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर कैम्प दौसा द्वारा अपील संख्या 52/2005 बउनवानी लक्ष्मण व अन्य बनाम रामहेत में पारित निर्णय दिनांक 01–09–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने मीमों आफ अपील में अंकित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अपीलार्थी ने किला नम्बर 21 से अपने खेत के कला नम्बर 10 तक का रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत जिसको आीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर लिया परन्तु उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी के किला नम्बर–1 व 10 में से रास्ता स्वीकृत कर दिया एवं मुआवजा दिया, जो कतई गलत है। उत्तरवादीगण चक–7 एलएलजी के मुरब्बर नम्बर 54 में जाने के लिए लालगढ जाटान की आबादी से स्वीकृत रास्ता पूर्व में चालू है। राजस्व न्यायालयों को कण्डीशन नम्बर 8(2) के तहत स्वीकृत रास्ते के बदले में मुआवजा देने का भी कोई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4130/2003/श्रीगंगानगर भागीरथ बनाम बृजलाल	नम्बर व तारीख

अधिकार नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर के निर्णय दिनांक 30–7–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 3–6–2002 में अपीलार्थी के रकबे मुरब्बा नम्बर–1 के किला नम्बर 1 व 10 में से स्वीकृत रास्ते की हद तक आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 3–6–2002 से प्रार्थनापत्र संख्या 57/2002 भागीरथ बनाम बृजलाल वगैराह व प्रार्थनापत्र संख्या 59/2002 बृजलाल इन्द्राज बनाम भागीरथ में वांछित रास्ते का निर्धारण करते हुए बृजलाल व इन्द्राज का 03बिस्वा रकबा आना व भागीरथ का रास्ते में 02बिस्वा रकबा आना बताया है और 01बिस्वा अधिक का मुआवजा भागीरथ प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी बृजलाल व इन्द्राज को डीएलसी दर से दुगनी राशि 2520/–रूपये दिलाने का आदेश पारित किया है और उक्त आदेश के विरूद्ध दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत अपील को राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा खारिज किया गया है लेकिन राजस्थान उपनिवेशन (सामान्य उपनिवेशन) 1955 की धारा 8(2) के परन्तुक में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है –

''परन्तु अनुदानग्रहिता अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अधिग्रहित या आरक्षित किये गये किसी क्षेत्र के सम्बन्ध में किसी प्रकार के प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकेगा, किन्तु ऐसे क्षेत्र के सम्बन्ध में जल उप–शुल्क, मृदा सुविधा उप–शुल्क, सुधार शुल्क, भू–राजस्व कर या उप–कर काश्तकार द्वारा संदेय नहीं होगा।''

अर्थात् इस परन्तुक के कानूनी प्रावधान से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी क्षतिपूर्ति राशि नहीं दिलाई जा सकती। इसलिए क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में दिये गये आदेश की सीमा तक आदेश अपास्त किया जाना और शेष आदेश यथावत रखा जाना विधिसम्मत् है।

परिणामतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विद्वान अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–7–2003 व विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजस्व, श्रीगंगानगर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 3–6–2002 में चक नम्बर 12एस.डी.पी. का मुरब्बा नम्बर–1 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में मुरब्बा लाईन पर स्वीकृत किये गये रास्ते की पुष्टि की जाती है लेकिन 2520/–रूपये भागीरथ द्वारा अप्रार्थी बृजलाल व इन्द्राज को अदा करने के आदेश दिये गये है, को अपास्त किया जाता है। यदि उक्त राशि जमा करा दी गयी हो तो वह वापस प्राप्त करने का अधिकारी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एलआर/4130/2003/श्रीगंगानगर भागीरथ बनाम बृजलाल	नम्बर व तारीख
	है। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(गणेश कुमार)** सदस्य	